न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थी :—

जमालुदीन पुत्र मांगू खां
जाति लुहार निवासी भादवा

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :— श्री मूलचन्द सौंलकी , वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार अप्रार्थी

मुकदमां नम्बर :— 98/2018

निर्णय दिनांक :— 27.11.2019

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम भादवा की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 297, 297/1, 297/2, 297/3 जिसके नये खसरा नम्बर 435, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.79 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी की 1/2 हिस्से की खातेदारी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का खातेदारी हक प्रारम्भ से जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2048—2051 तक जमालुदन पुत्र मांगू 1/2 कौम लुहार दर्ज चला आया हैं तथा सम्वत 2052 – 2055 की जमाबन्दी चौसाला में सहवन से प्रार्थी का नाम जमालुदीन पुत्र मांगू 1/2 के स्थान पर जलालुदीन पुत्र मांगू 1/2 कौम लुहार दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज चला आ रहा है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम संशोधन हेतु तहसीलदार जी परबतसर को आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 05.09.18 को दर्ज किया गया था जो नामान्तकरण प्रकियाधीन रहने के दौरान शुद्धि का इन्द्राज को यह मानते हुए अस्वीकृत कर दिया कि उक्त अशुद्धि सेटलमेन्ट के पूर्व की दर्ज होने से क्षैत्राधिकार में नहीं हैं। इस लिय प्रार्थी को मजबूरन यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि सभी में जमालुदीन पुत्र मांगू खां दर्ज चला आ रहा हैं जामबन्दी सम्वत 2055 में जमालुदीन के स्थान पर जलालुदीन गलत दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं प्रार्थी उक्त इन्द्राज के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ खातेदारी के आधार पर लेने से वंचित रह रहा हैं। यहां तक कि प्रार्थी को सहकारी संस्था द्वारा काश्त की सुविधाओं का लाभी भी नहीं दिया जा रहा हैं, जिसके कारण प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही हैं। जिससे प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 453, 454, 455 व 456 कुल रकबा 6.79 हैक्टयर में दर्ज नामा जलालुदीन पुत्र मांगु खां लुहार 1/2 की खातेदारी के स्थान पर संशोधित

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

करते हुए जमालुदीन पुत्र मांगु खां लुहार 1/2 निवासी भादवा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2055 व जमावन्दी सम्वत 2076–2079 एवं खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की हैं। अन्य दस्तावेजात में राशक कार्ड , आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं।

4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। ग्राम भादवा तहसील परबतसर की जमाबन्दी सम्वत 2042–2045 के अनुसार खसरा नम्बर 297, 297/1, 297/2, 297/3 रकबा 42–00 बीघा भूमि की खातेदारी जमालुदीन पुत्र मागूं 1/2 कौम लुहार, छीगना पुत्र मोती 1/2 कौम खाती सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा मिलान क्षेत्र फल के अनुसार ग्राम भादवा के गत खसरा नम्बर 297, 297/1, 297/2, 297/3 रकबा 42–00 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 453, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.80 हैक्टयर कायम हुए है। जमाबन्दी सम्वत 2048–2051 का अवलोकन किया गया जिसके खसरा नम्बर 453, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.80 हैक्टयर भूमि जमालुदीन पुत्र मांगू 1/2 कौम लुहार, छीगना पुत्र मोती 1/2 कौम खाती सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबन्दी सम्वत 2052–2055 का अवलोकन किया गया हैं जिसमें ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 453, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.80 हैक्टयर भूमि की खातेदारी में जलालुदीन पुत्र मांगू 1/2 कौम लुहार, छीगना पुत्र मोती 1/2 कौम खाती सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 में भी ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 453, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.80 हैक्टयर में जलालुदीन पुत्र मांगू हिस्सा 1/2 जाति लोहार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति पेश की हैं जिसमें प्रार्थी का नाम जमालुदीन पुत्र मांगू खां दर्ज हैं, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति पेश की हैं जिसमें भी प्रार्थी का नाम जमालुदीन पुत्र मागूं खां दर्ज हैं, प्रार्थी अपने आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की जिसमें भी प्रार्थी का नाम लमालुदीन पुत्र मागूं खां लोहार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जामाबन्दी सम्वत 2042–2055 के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि प्रार्थी का नाम पूर्व में जमालुदीन पुत्र मागूं कौम लुहार दर्ज रिकार्ड रहा हैं जो जमाबन्दी सम्वत 2052–2055 तैयार करते समय सहवन से लिपिकिय ऋटिवंश जमालुदीन पुत्र मागूं के स्थान पर जलालुदीन पुत्र मागूं कौम लुहार दर्ज हो गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी में नाम दोनो पृथक–पृथक है। प्रशगत

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2051 तक प्रार्थी का नाम जमालुदीन दर्ज रिकार्ड हैं, सम्वत 2052–2055 का चौसाला तैयार करते समय लिपिकिय त्रृटिवंश जलालुदीन अंकित कर दिया जो गलत हैं। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजत राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र से भी स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी का सही नाम जमालुदीन पुत्र मागूं खां लोहार हैं। जिसकी पुष्टि तहसीलदार परबतसर ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में की है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 453, 454, 455, 456 कुल रकबा 6.80 हैक्टयर भूमि में दर्ज जलालुदीन पुत्र मागूं जाति लोहार 1/2 हिस्सा के स्थान पर जमालुदीन पुत्र मांगू खां जाति लोहार 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)